

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर ।

क्रमांक:स.27(3)(8)पदो./अभि/23/8610-55 दिनांक: 22/09/2023

**पदोन्नति आदेश**

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक के पद की वर्ष 2017-18, 2020-21, 2021-22 के विभागीय पदोन्नति समिति कार्यवाही का पुनर्विलोकन करने हेतु दिनांक 21.09.2023 को आयोजित रिज्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर निम्न मंत्रालयिक कार्मिको को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्षों में कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती हैं:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पिता का नाम	चयन वर्ष जिस पर चयन की सिफारिश की गई।	चयन पर वरिष्ठता जहां निर्धारित की गई	कनिष्ठ सहायक के पद पर पूर्व चयन वर्ष जहां से चयन निरस्त किया गया।
1.	श्री भावेश पुत्र श्री राजेन्द्र चौबीसा (TSP)	2017-18 रिविक्त 01.04.17	श्री इन्द्राज मीणा के नीचे रहेगी।	2020-21
2.	श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री भंवर लाल (NON-TSP)	2021-22 रिविक्त 01.04.2021	श्री इन्द्र सिंह के नीचे रहेगी।	—

उक्त पदोन्नति वर्षों में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई शेष अनुशंषाओं को यथावत रखा गया।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के अनुसार तालिका में वर्णित कार्मिक जिनकी पदोन्नति 2019-20 से पश्चातवर्ती वर्षों में की गई हैं ऐसे कार्मिको का वेतन ऐसी पदोन्नति पर, उस वेतन पर जिसे वह आहरित करता पर पुनः नियत किया जायेगा किंतु कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा एवम् तालिका में वर्णित ऐसे कार्मिक जिनका पदोन्नति पर चयन वर्ष 2020-21 में या

Signature valid

Digitally signed by Raj Sharma  
Designation: Director  
Date: 2023.09.21 17:20:51 IST  
Reason: Approver

RajKaj Ref No. : 4770603



आगामी वर्षों में किया गया है का वेतन पदोन्नति संबन्धी पद के लिए नियत किया जायेगा किंतु वह तीन पश्चातवर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु काल्पनिक रूप से हकदार होगा और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् उसे ऐसी वेतन वृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे तथापि ऐसी काल्पनिक वेतन वृद्धियों के लिए कोई वकाया संदत्त नहीं किया जायेगा।

श्री भावेश पुत्र श्री राजेन्द्र चौबीसा का पदोन्नति पर पदस्थापन वर्तमान कार्यालय में यथावत रखा जाता है। श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री भंवर लाल के पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेगे।

(रवि शर्मा)  
निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
02. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभि) राजस्थान जयपुर।
03. उप/सहायक निदेशक अभियोजन.....
04. संस्थापन शाखा मंत्रालयिक (कनिष्ठ) अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
05. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Ravi Sharma  
Designation: Director  
Date: 2023.09.21 18:20:51 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4770603

